संख्या– 136/XXIV(1)/2005

प्रेषक,

राजेन्द्र सिंह ,
उप सचिव ,
उत्तरॉचल शासन ।

सेवा में,

सचिव,
उत्तरांचल संस्कृत अकादमी,
हरिद्वार ।

उच्च शिक्षा अनुभाग देहरादून दिनॉक 10 फरवरी,2005

विषयः– उत्तरांचल संस्कृत अकादमी हरिद्वार को अकादमी के कार्य कलापों हेतु धनराशि की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रॉकःउ0स0अ0/बजट/1990(39)/1–5/2004–2005 दिनॉक 27–12–2004 एवं धनराशि की स्वीकृति विषयक शासनादेश संख्या–487/उच्च शिक्षा/2004 दिनॉक 5–6–2004 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2004–2005 में उत्तरांचल संस्कृत अकादमी हरिद्वार के सामान्य कार्य कलापों के लिए निम्नांकित विवरणानुसार रु0 30.88 लाख(रुपये तीस लाख अठ्ठासी हजार मात्र) की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

धनराशि हजार रुपये में

क0स0	मद	औचित्य पूर्ण राशि जो स्वीकृत की जानी है।
1.	कार्ययोजना	1000
2.	यात्रा भत्ता	50
3.	फर्नीचर कय/आलमारी कय	500
4.	कम्प्यूटर/उपकरण कय	200
5.	कार्यालय व्यय	100
6.	वाहन अनुरक्षण (ईधन,किराया आदि)	100
7.	लेखन सामग्री एवं छपाई	30
8.	वेतन/मानदेय/संविदा पर रखे कार्मिकों का व्यय	150
9.	टेलीफोन व्यय	30
10.	विज्ञापन	50
11.	पुस्तक कय	200
12.	मा.उपाध्यक्ष से सम्बन्धित मानदेय/भत्ता	50
13.	अस्थायी भवन किराया	163
14.	अतिथि सत्कार	25
15.	सम्परीक्षा शुल्क	30
16.	वाहन कय	410
	योग	3088

D.E.GRENT.Go35

2– उक्त मदों में स्वीकृत धनराशि का व्यय करने के लिए शासन द्वारा समय–समय पर निर्गत मितव्ययता सम्बन्धी आदेशों का पालन किया जाना होगा।

3– स्वीकृत की गई धनराशि जिला शिक्षा अधिकारी हरिद्वार के प्रतिहस्ताक्षर करने के उपरान्त अकादमी द्वारा आहरित की जायेगी।

4– स्वीकृत धनराशि के उपभोग के सम्बन्ध में शासन द्वारा निर्गत समस्त शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा तथा धनराशि का व्यय कर उपयोगित प्रमाण पत्र शासन को उपलब्ध कराया जायेगा एवं अतिरिक्त अनुदान की प्रत्याशा में धनराशि का व्यय नहीं किया जायेगा।

5– कम्प्यूटर आदि क्रय के सम्बन्ध में आई0टी0विभाग उत्तरांचल शासन द्वारा निर्गत दिशा–निर्देशों का पालन किया जाना होगा। फर्नीचर एवं आलमारी का क्रय जहॉ तक सम्भव हो प्रतिष्ठित फर्मों से ही क्रय किया जाय। पुस्तकों का क्रय बुक फेयर के माध्यम से किया जायेगा। अकादमी को जिन मदों हेतु धनराशि स्वीकृत की जा रही है उन मदों के सम्बन्ध में अकादमी द्वारा बाजार से किराये पर व्यवस्था नहीं करायी जायेगी।

6– संविदा आदि पर रखे कार्मिकों के विनियमितीकरण का कोई दावा मान्य नहीं होगा। अकादमी द्वारा संविदा पर कार्मिकों को भुगतान के सम्बन्ध में शासन को भी अवगत कराया जायेगा।

7–इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2004–2005 के आय–व्ययक की अनुदान संख्या–11 के आयोजनागत पक्ष के अधीन लेखा शीर्षक–2202 सामान्य शिक्षा–आयोजनागत 03–विश्वविद्यालय तथा उच्चतर शिक्षा –104– अराजकीय कालेजों और संस्थानों को सहायता–0504–उत्तरांचल संस्कृत अकादमी को सहायता अनुदान 20–सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता के नामें डाला जायेगा ।

8– यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या–110 /XXVII(I) दिनॉक 08 फरवरी ,2005 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं ।

भवदीय,

(राजेन्द्र सिंह)
उप सचिव ।

संख्या– 136 (1)XXIV(I)/2005–तद्दिनॉक ।

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–
(1)महालेखाकार, उत्तरॉचल देहरादून ।
(2) निदेशक,उच्च शिक्षा,हल्द्वानी–नैनीताल।
(3)कोषाधिकारी, हरिद्वार
(4)जिला शिक्षा अधिकारी, हरिद्वार।
(5)निदेशक,एन0आई0सी0,उत्तरांचल।
(6)निजी सचिव,मा0मुख्यमन्त्री।
(7)लेखाधिकारी,उत्तरांचल संस्कृत अकादमी,हरिद्वार।
(8) वित्त अनु–1,/नियोजन अनुभाग,उत्तरॉचल शासन ।
(9)विभागीय आदेश पुस्तिका।

आज्ञा से,

(के0 पी0पाटनी)
अनु सचिव ।

D.E.GRENT Go37